प्रेस नोट थाना पुवायां
जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक : 11.04.2025

थाना पुवायां पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

“थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा जनसहयोग से ई-रिक्शा लूटने वाले दो अन्तर्जनपदीय शातिर लुटेरो को अवैध शस्त्र व लुटे गये ई-रिक्शा के साथ किया गया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ के नेतृत्व मे थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा जनसहयोग से ई- रिक्शा लूटने वाले दो अभियुक्तो को किया गिरफ्तार जिनसे अवैध शस्त्र व इनकी निशादेही पर ई रिक्शा बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10.04.2025 को रात्रि करीब 08.30 बजे श्लोक पुत्र अवधेश कुमार अपने चाचा दिनेश कुमार पुत्र रामविलास निवासी ग्राम इमलिया थाना पुवायां शाहजहाँपुर के ई रिक्शा को लेकर पुवायाँ मोहम्मदी रोड़ पर चलाना सीख रहा था। जब श्लोक ई रिक्शा लेकर ग्राम सिरखिड़ी स्थित शुक्ला जी के पेट्रोल पम्प के सामने पहुँचा तभी दो मोटरसाईकिल पर चार बदमाश आये और श्लोक उपरोक्त को तमंचा दिखाकर उससे ई रिक्शा लूट लिया तभी सामने से आ रहे दो सरदार जी द्वारा घटना को देखकर डायल 112 पर घटना की सूचना दी जिसके बाद तत्काल पीआरवी 6028 व थाने की पुलिस मौके पर पहुँची तथा मौके से दो अभियुक्तगण 1. अंजन मण्डल पुत्र परितोष मण्डल निवासी ग्राम- सलख थाना वगदा जिला उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल हाल निवासी गुलरिया पर्वत नगर थाना मोहम्मदी जिला खीरी 2.अनुज पुत्र रामचन्द्र नि0 ग्रा0 गुलरिया पर्वत नगर थाना मोहम्मदी जिला खीरी को जनसहयोग मौके से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त अंजन मण्डल उपरोक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुए व इनकी निशादेही पर लूटा हुआ ई रिक्शा (बिना बैट्री का) बरामद किया गया तथा श्री दिनेश कुमार पुत्र रामविलास नि0 ग्रा0 इमलिया थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा थाना पुवायाँ पर दी गयी तहरीर के आधार पर अभियोग **मु0अ0स0 290/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत** किया गया तथा घटना की सूचना तत्काल अधिकारीगण को दी गयी उनके द्वारा घटना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के आदेश दिये गये। आदेश के क्रम मे पुलिस टीम गठित कर वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बैट्री बरामदगी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण को विधिक कार्यवाही के पश्चात मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शेष अभियुक्तगण को गिरफ्तारी कर ई रिक्शा के बैटरे बरामद कर विवेचना का विधिक निस्तारण किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. अंजन मण्डल पुत्र परितोष मण्डल नि0 ग्रा0- सलख थाना वगदा जिला उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल हाल निवासी गुलरिया पर्वत नगर थाना मोहम्मदी जिला खीरी
2. अनुज पुत्र रामचन्द्र नि0 ग्रा0 गुलरिया पर्वत नगर थाना मोहम्मदी जिला खीरी

वांछित अभियुक्तः-

1.अमन पुत्र रामदीन (फरार) निवासी ग्राम गुलरिया पर्वत नगर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

2. शक्ति उर्फ भोला पुत्र अनिल (फरार) निवासी ग्राम गुलरिया पर्वत नगर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

पंजीकृत अभियोगः –

मु0अ0स0 290/25 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण –

1. एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. एक रियल मी मोबाइल
3. एक E-रिक्शा (बिना चारों बैटरों के)
4. एक अदद मोटर साईकिल (207 एम0वी0 एक्ट में)

पूछताछ विवरणः– अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर एक स्वर मे बताया कि हम बेरोजगार है चोरी व लूट इत्यादि कर जो कमाई होती है उसे आपस मे बाट लेते है जिससे अपने घर का खर्चा चलाते है यह ई रिक्शा हम इस बच्चे से लूटकर ले जा रहे थे कि गांव वालो ने हमे पकड़ लिया ई रिक्शा की बेटरियो के बारे मे हमारी साथी अमन व शक्ति उर्फ भोला ही बता सकते है इतना कहकर अपने जुर्म की मांफी मांगने लगें।

अपराधिक इतिहासः–

1. अभियुक्तगण के अपराधिक इतिहास की जानकारी थाना मोहम्मदी व अन्य थानो से की जा रही हैं।

गिरफ्तारी/बरामदगी टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्री यतेन्द्रपाल सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
2. का0 2251 अक्षय बालियान थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
3. का0 2793 अनिल कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
4. का0 सचिन कुमार पी0आर0वी0 6028 थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
5. जनसहयोग से